बिहार राज्य भंडार निगम

बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना-800001

बिहार राज्य भंडार निगम

बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना-800001

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation), केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का एक संयुक्त लोक उपक्रम है, जो विशेष केन्द्रीय विधान दी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 (The Warehousing Corporation Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है।

1. **स्थापना** :-

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) पटना की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956) के अधीन केन्द्रीय भंडार निगम (CWC) के अनुमोदन के पश्चात् मार्च, 1957 में बिहार सरकार विकास (सहकारिता) विभाग की अधिसूचना संख्या-3330 दिनांक 29-03-1957 के द्वारा हुई। उक्त अधिसूचना के द्वारा इसका मुख्यालय, पटना में निर्धारित किया गया। कालक्रम में Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956 के स्थान पर The Warehousing Corporation Act 1962 लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत सम्प्रति बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (बिहार राज्य भंडार निगम) अर्थात BSWC कार्यरत है।

बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित - "राज्य भंडारण ऐजेंसी" :-

बिहार राज्य भंडार निगम को बिहार सरकार सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-3250 दिनांक 12-12-1996के द्वारा ''राज्य भंडारण एजेंसी'' के रूप में घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, लोक उद्यमों एवं उपक्रमों को यह निदेशित किया गया है कि वे स्थायी रूप से अपनी आवश्यकता बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अधिसूचित करेंगे। बिहार राज्य भंडार निगम, पटना अपने गोदामों के उपलब्ध होने पर आरक्षण प्रदान करेगा। गोदाम अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य विभागों/स्वशासी निकायों/लोक उद्यमों एवं उपक्रमों/सहकारी समितियों अथवा निजी श्रोतों से गोदाम को भाड़े पर लेकर अधियाची संस्थान को उपलब्ध कराएगा।

2. **उद्देश्यः**

- कृषि उत्पाद, खाद्यान्न, उर्वरक एवं अधिसूचित सामग्रियों का वैज्ञानिक भंडारण।
- गोदामों का अर्जन, निर्माण तथा परिचालन।

3. **कार्यः**

❖ बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) का मुख्य कार्य निम्नवत् है:-

- राज्य में कृषि उत्पादों/खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीज तथा कृषि संयंत्रों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए परिवहन एवं हथलन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के एजेन्सी के रूप में कृषि उत्पाद एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं वितरण में सहयोग करना।
- सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्धारित कार्या का संपादन।

4. **हिस्सा पूँजी/अंश-पूँजी (Share Capital & Paid up Capital)** :-

निगम का अधिकृत अंश पूँजी 10.00 करोड़ है। निगम में केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार का क्रमशः 50-50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी है। संप्रति केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार द्वारा पदत्त अंश पूँजी 642.00 लाख है।

5. **मुख्य सामग्रियों का भंडारण** :-

खाद्यान्न, दवा, उर्वरक, सीमेंट, दाल, बीज, जूट, सूर्यमुखी बीज, नीरा, उड़द, मसूर, डी.डी.टी. अभियंत्रण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक मत-पेटी आदी।

6. **अद्यतन भंडारण क्षमता :-**

- अद्यतन भंडारण क्षमता :- 8.30 लाख मे0 टन।

7. **मुख्य उपयोगकर्त्ता/जमाकर्त्ता :-**

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर.सी.एफ. लि., पुस्तक निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, कम्फेड, सब्जी प्रसंस्करण निगम, व्यापारी, कृषक, बिहार मेडीकल इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि., अल्ट्राटेक, ओरिगो लिमिटेड आदि गोदामों के उपयोगकर्त्ता रहें है। संप्रति निगम का अधिकांश गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित है।

8. **भंडारण शुल्क :-**

बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम का संसूचित दर सामान्य रूप से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संदर्भ में यथानिदेशित दर व्यवस्था लागू है जिसकी विवरणी अग्रानुसार है:-

खाद्यान्न	रु. 99.20 प्रति मे. टन प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम) [रु. 4.96 प्रति 50 कि.ग्रा. बोरा प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)]
	रु. 64.00 प्रति मे. टन प्रति माह (राज्य खाद्य निगम)
उर्वरक	रु. 80.00 प्रति मे. टन प्रति माह (CWC दर पर)
क्षेत्रफल दर	रु. 19.43 प्रति वर्गफीट प्रति माह (CWC दर पर)

निगम में कार्यरत प्रमंडल - 6 (मुजफ्फरपुर, पटना, मगध, पूर्णिया, भागलपुर, एवं राँची)

कुल भंडारण गृहों की संख्या - 62 (बिहार 54, झारखण्ड 8)